


किस्म मुकदमा राजस्व भावित अधि. मुकदमा नम्बर 93/20

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
3/9/20	<p>प्रार्थी/वादी/अपीलेट के वकील श्री <u>डालू राम</u></p> <p>ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा <u>131, 136</u> राजस्थान काश्तकारी अधिनियम/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी / प्रतिवादी / रेस्पोंडेन्ट जरिये नोटिस / सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक <u>14/9/20</u> को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">u</p> <p style="text-align: center;">उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी</p>	<p style="text-align: center;">($\frac{309}{31/9/20}$)</p>
14/9/20	<p>पत्रावली आज पेश हुई। आर्चीगण वकील इपस्थित। विप्रार्थी खट्या 1 ले 7 व 9 के 11 व 13, 14 के नोटिस जरिये आज तामील प्राप्त जो शामिल प्रैसल किसे जाये। आर्चीगण वकील शेष विप्रार्थीगण के नोटिस धुरी, प्रेश फो, प्रेश लोड पर जारी की। पत्रावली वास्ते जवाब व शेष विप्रार्थीगण की तलबी हो- दिनांक 23/9/20 को पेश की।</p> <p style="text-align: center;">u</p> <p style="text-align: center;">सहायक कलक्टर (S.D.O.) गुडामालानी</p>	
25/9/20	<p>पत्रावली आज पेश हुई। आर्चीगण वकील इपस्थित आर्चीगण वकील पूर्व आदेश की पालना हेतु अवसर चाहते हैं। अवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक 23/10/20 को पेश की।</p> <p style="text-align: center;">u</p> <p style="text-align: center;">सहायक कलक्टर (S.D.O.) गुडामालानी</p>	

25/9/20 पत्रावली आज पेश हुई।
 प्राचीन वकील उपस्थित। विपरीत संख्या 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10
 की तरफ वकील श्री चित्र सिंह चौबड़ी ने कालतमाता
 पेश किया। श्री शांति पत्रावली किया गया। प्राचीन
 वकील श्री प्राचीन के नोटिस पुनः पेश हटे, पेश
 होने पर जारी हो। पत्रावली वास्ते जवाब व लंबी
 दिनांक 9/10/20 को पेश हो।

u
 सहायक कलेक्टर
 SDO (गुड़ामालानी)

9/10/20 पत्रावली आज पेश हुई।
 प्राचीन वकील संख्या 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10 के वकील
 उपस्थित। प्राचीन वकील श्री प्राचीन के नोटिस-
 पुनः पेश हटे, नोटिस पेश होने पर जारी हो। पत्रावली
 वास्ते जवाब व लंबी, दिनांक 23/10/20 को पेश हो।

u
 सहायक कलेक्टर
 (S.D.O.) गुड़ामालानी

29/10/20 पत्रावली आज पेश हुई।
 दोनों पक्षों के वकील उपस्थित। पत्रावली पूरे आवेश
 अनुसार दिनांक 29/10/20 को पेश हो।

u
 सहायक कलेक्टर
 (S.D.O.) गुड़ामालानी

29/10/20 पत्रावली आज पेश हुई। दोनों पक्षों के
 वकील उपस्थित। दोनों पक्षों के वकील
 उपस्थित हैं। पत्रावली पूरे आवेश
 अनुसार दिनांक 20/11/20 को पेश हो।

u
 उपखण्ड अधिकारी
 गुड़ामालानी

20/11/20 पत्रावली पेश हुई।
 आज हम दीगर आवश्यक कार्यों
 में व्यस्त हैं। अतः इत्तबा लेकर
 पत्रावली आइन्दा 20/11/20 को पेश हो।

18/12/20 पत्रावली पेश हुई।
 आज हम दीगर आवश्यक कार्यों
 में व्यस्त हैं। अतः इत्तबा होकर
 पत्रावली आइन्दा 20/11/20 को पेश हो।

नमस्कार
अहमक
में जारी हुए

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील
में जारी हुए

पत्रावली पेश हुई ।
आज इन डीगार अधिकारी कार्यों
में व्यस्त है । अतः इत्यादि होकर
पत्रावली आइन्दा २६/३/२१ को पेश हो ।

६/३/२१ पत्रावली पेश हुई ।
आज पीठासीन अधिकारी महोदय
बाहर है । अतः इत्यादि होकर
पत्रावली आइन्दा १२/३/२१ को पेश हो ।

१२/३/२१ पत्रावली पेश हुई ।
आज पीठासीन अधिकारी महोदय
बाहर है । अतः इत्यादि होकर
पत्रावली आइन्दा २६/३/२१ को पेश हो ।

२४/३/२१ पत्रावली पेश हुई ।
आज पीठासीन अधिकारी महोदय
बाहर है । अतः इत्यादि होकर
पत्रावली आइन्दा २६/३/२१ को पेश हो ।

२८/३/२१ पत्रावली पेश हुई ।
आज पीठासीन अधिकारी महोदय
बाहर है । अतः इत्यादि होकर
पत्रावली आइन्दा २८/३/२१ को पेश हो ।

२९/३/२१ पत्रावली पेश हुई ।
आज पीठासीन अधिकारी महोदय
बाहर है । अतः इत्यादि होकर
पत्रावली आइन्दा २९/३/२१ को पेश हो ।

२६/३/२१ पत्रावली काठ प्रशासन गाँवों के सैंग
कमिश्नर केमरा गाँव पंचायत प्रशासकी
पेश हुई । पत्रावली का मालोकाग किण
वकील सार्थकता के हुका गमा तथा प्रशासक
जागरणी ली गई । अति चारक तहसीलगा

सहायक कमिश्नर
SDO (मुहायला पी)

गुडामालानी के कपटी डिपॉजिट ~~बुद्धि~~
 19 डिसेंबर 26-11-2021 केस कर हुकम
 कराया कि कपटी कदमों के खिलाफ जो
 विवादात्मक के मुद्दा ए. नम्रता लक्ष्मी
 इस में तरसीम इच्छित है, विवादात्मक
 कराने वाले चारों सौ मरु (मरु) का
 10 वर्षों पूर्व जन्म हो चुके हैं, वरिष्ठ
 में उत्तराधिकारियों के सत्ते को लेकर
 विवाद चल रहा है जो तरसीम डुरेल्ली के
 हल किए जाने के बाद नहीं है। प्राथमिक
 को चारा 25.1A के तहत सत्ते के
 लिए कलम के कार्रवाई किए जाने की
 सम्भावना कर ही गई है। उक्त उक्त
 कलम प्रकरण तरसीम डुरेल्ली का नहीं
 होने के स्वीकृत योग्य है।

तद्विना 'गुडामालानी' में डिपॉजिट
 अनुसार प्रकरण तरसीम डुरेल्ली का
 नहीं होने के तत्वीकार कर स्वीकृत
 किया जाता है। पत्रवाली विधि सुधार
 हीकर डारिकल इतर है। (७/११)